

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

कलावती सरन बाल अस्पताल में कार्यालय अधीक्षक के पद के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी के दिनांक 0सं .ज्ञा.के का 13.10.2015 के अनुपालन में (आरआर)पनास्था-2008/61/14017.एबी कलावती सरन बाल अस्पताल में कार्यालय अधीक्षक के पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमोंके मसौदे पर कोई भी आपत्तिक पणधारक गियां अथवा सुझाव देने के लिए इच्छुटिप्प/यमों के मसौभर्ती निदे के प्रकाशन की तिथि से दिनों की अवधि के भीतर श्री थेकोलाल बैटे 30, (Thenkholal baite)अनुभाग अधिकारी -एमएच)II(, कमरा सं . ए405, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली 110108-को लिखित रूप में भेज सकते हैं या t.baite12@nic.in पर ई मेल कर सकते हैं।-

अ.समंत

ग. प्र. सामंत

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष:01123061521

नई दिल्ली
दिनांक :

(भारत सरकार)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख:

2019

सा.का.नि. . . . - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली (कार्यालय अधीक्षक) भर्ती नियम, 1992 को अधिकांत करते हुए, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली में कार्यालय अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली, (कार्यालय अधीक्षक), भर्ती नियम, 2019 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. लागू होना- ये नियम, इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।
3. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में स्तर या वेतनमान- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में उसका स्तर या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. निरर्हता- वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
6. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
7. व्यावृत्ति: इन नियमों की ऐसी कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

			<p>धारण करते हैं; या</p> <p>(ii) वेतन भेटिक्स के स्तर 4 के वेतनमान में दस वर्ष की नियमित सेवा और</p> <p>(ख) निम्नलिखित अर्हता और अनुभव रखते हैं:</p> <p>(क) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डिग्री।</p> <p>(ii) किसी सरकारी कार्यालय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त निकाय में लेखा, प्रशासन, स्थापना कार्य में दो वर्षों का अनुभव।</p>	
--	--	--	---	--

[ए.11018/49/2016- एमएच-II]

(जी.पी. सामंता)
अवर सचिव (अस्पताल)